98/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०न०– 8-15
क्रमांक– 98 / 2017
आरबीई सं०– 36 / 2017
स० इ / 254 / 2 / भाग–22 / चार

दिनांक 29–05–2017

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–क्षेत्रीय रेलों में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) और इण्टरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा का चयन आयोजित करने में अत्यधिक विलम्ब।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एनजी)।–2016 / पीएम–7 / 1 दिनांक 21.04.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

29.05.17
(ए० के० सिंह)
उपमुकाधि / अराज.
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोर०–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी / एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

29.05.17
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

R-73

98/2017

आरबीई सं. 38/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAYS BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2016/पीएम7/1

नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2017

महाप्रबंधक(पी),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: क्षेत्रीय रेलों में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) और इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा चयन आयोजित करने में अत्यधिक विलम्ब।

क्षेत्रीय रेल प्रशासन इस तथ्य से अवगत है कि चयन उन पदों को भरने के लिए पात्र कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने की प्रक्रिया है जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा चयन पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चयन एक विधिवत रूप से गठित चयन बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने होते हैं। मौजूदा अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि यदि आवश्यक हो तो अगले चयन की प्रक्रिया अंतिम चयन की तारीख से कम-से-कम 6 माह के अंतर पर शुरू की जा सकती है। इसके लिए, प्रत्येक रेल प्रशासन द्वारा सुचारू रूप से कार्य-संचालन के लिए चयन के लिए एक कैलेंडर बनाया जाना होता है।

2. स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद, बोर्ड के ध्यान में ऐसे मामले लाए गए हैं जिनमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) या इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा चयन समय पर आयोजित नहीं किया जाता है, जिसके कारण कर्मचारियों को अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को एनएफआईआर द्वारा भी पीएनएम मंच पर उठाया गया है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि एलडीसीई और इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा सहित सभी चयन समय पर आयोजित किए जाएं ताकि कर्मचारी समय पर पदोन्नति प्राप्त करने से वंचित न हों।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(पी. एम. मीना)
उप निदेशक-II/स्था.(एनजी)I
रेलवे बोर्ड